न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 02/2018

उनवान

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र गिरवरदान सिंह, उम्र 58 वर्ष, जाति बारेठ, निवासी खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. रूकमा देवी पत्नी जगदीश
3. कालूराम पुत्र जगदीश
4. अशोक पुत्र जगदीश
5. सेडूराम पुत्र चोथ्या

   समस्त जाति बलाई, निवासी अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जयपुर।
6. मोतीराम पुत्र तुलछाराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, त० चौमूं।
7. भगवान सहाय पुत्र हरीराम
8. लालराम पुत्र हरीराम
9. रामचन्द्र पुत्र हरीराम
10. नन्छूराम पुत्र हरीराम
11. बाबूलाल पुत्र श्रवण लाल
12. कालूराम पुत्र श्रवण
13. मदनलाल पुत्र कनीराम

    समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक–06.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि नया खाता संख्या 300 में वर्णित ख0नं0 770 रकबा 0.07 है0, ख0न0 772 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 773 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 774/1821 रकबा 0.14 है0, 775/1821 रकबा 0.13 है0, 776/1821 रकबा 0.20 है0, 777 रकबा 0.39 है0, 842/1823 रकबा 0.02 है0, 843/1824 रकबा 0.02 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि संपूर्ण की खातेदारी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अणतपुरा चिमनपुरा, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि नया खाता संख्या 288 में वर्णित खसरा नंबर 730/1, 731, 732 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के नाम व नया खाता संख्या 234 में वर्णित खसरा नंबर 839, 841,842,843,844,845,846,848 कुल किता 8 का कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से व नया खाता संख्या 167 में वर्णित खसरा नंबर 778, 779,780,781,782,783,791,792, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 7 ता 13 व अन्य खातेदारों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी की उपरोक्त विवादित आराजीयात के चारों ओर अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है।

प्रार्थी की उपरोक्त विवादित आराजीयात की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान् जिला कलेक्टर (भू.अ.) के पत्रांक दिनांक 26.10.2017 की अनुशंषा पर श्रीमान् भू–प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक 3088 दिनांक 02.12.2015 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक/53/105 दिनांक 05.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 14.12.2015 को तहसील कार्यालय चौमूं उक्त ग्राम के उक्त खसरा नम्बरान क्रमशः 770,772,773,774,775,776,777,842/1823 व 843/1824 के मौके पर भू–प्रबन्ध की तकनीकी टीम में श्री बृजमोहन निरीक्षक एवं श्री दिनेश सिंह चारण पहुंचे। मौके पर राजस्व एजेन्सी की ओर से श्री गजराज सिंह भू.अ.नि. सर्किल गोविन्दगढ़ व श्री अनिल

Scanned with CamScanner

कुमावत हल्का पटवारी अणतपुरा चिमनपुरा मय राजस्व नक्शे/रिकॉर्ड के मौजूद मिले। सर्वप्रथम राजस्व एवं भू-प्रबन्ध टीम उक्त खसरा नम्बरान के मौका का अवलोकन किया एवं रेफरेन्स बिन्दु हेतु मौका ग्रस्त की। ई.डी.एम. मशीन से मौके पर चार स्टेशन कायम कर कुल 67 पाइन्टों का सर्वेक्षण कार्य किया गया। ई.डी.एम. से प्राप्त निर्देशांकों की सहायता से ग्रीड शीट पर प्लाटिंग कार्य कर मौका नक्शा तैयार किया गया। हल्का पटवारी द्वारा ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, तहसील चौमूं, शीट नंबर 3 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी गई। इससे उक्त खसरा नंबरों एवं आस-पास के क्षेत्र के मुस्तकिल पाईन्टों को ध्यान में रखते हुये पारदर्शी शीट पर एक आंशिक नकल नक्शा तैयार किया गया। उक्त खसरों का मिलान राजस्व जमाबन्दी आधार वर्ष 2066-2069 से किया गया। ख0न0 770 रकबा 0.07 है0, ख0न0 772 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 773 रकबा 1.12 है0, ख0न0 774/1821 रकबा 0.14 है0, 775/1821 रकबा 0.13 है0, 776/1821 रकबा 0.20 है0, 777 रकबा 0.39 है0, 842/1823 रकबा 0.02 है0, 843/1824 रकबा 0.02 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर भूमि लक्ष्मण सिंह पुत्र गिरवरदान सिंह, जाति बारेठ, निवासी खातीपुरा रोड, झोटवाडा के नाम खातेदारी में अंकित है। मौके का सर्वेक्षण नक्शे का राजस्व नक्शे का मिलान करने पर जो अन्तर आया उसे गुणिया, परकार, पैमाना की सहायता से माप कर मुताबिक राजस्व नक्शे के सीमाऐं मौके पर चिह्नीकरण/निशानदेह कर आवेदक को बताया गया। फर्द मौका पढ़ सुनाकर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बरों की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि नया खाता संख्या 300 में वर्णित ख0नं0 770 रकबा 0.07 है0, ख0न0 772 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 773 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 774/1821 रकबा 0.14 है0, 775/1821 रकबा 0.13 है0, 776/1821 रकबा 0.20 है0, 777 रकबा 0.39 है0, 842/1823 रकबा 0.02 है0, 843/1824 रकबा 0.02 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर की पत्थरगढी करने का आदेश करने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 एवं 7 लगायत 13 बावजूद तामील अनुपस्थित हैं। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 5 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर हजफ किया जा चुका है। अधिवक्ता प्रार्थी और अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान् जिला कलेक्टर (भू.अ.) के पत्रांक दिनांक 26.10.2017 की अनुशंषा पर श्रीमान् भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के आदेश क्रमांक 3088 दिनांक 02.12.2015 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक/53/105 दिनांक 05.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 14.12.2015 को भू-प्रबन्ध की तकनीकी टीम एवं राजस्व एजेन्सी भू.अ.नि. सर्किल गोविन्दगढ व हल्का पटवारी द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 14.12.2015 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **06.01.2020** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह) [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.05 16:24:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: